राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हीरा बनाम जगदीश 769/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/10/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी, किन्तु वे अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण की इस स्टेज पर प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी संख्या 1 हीरा पुत्र सुखा के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तदनुसार संशोधित उनवान को रिकार्ड पर लिया गया। तत्पश्चात अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 06/11/2025 को पेश हो।	
06/11/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 27/07/2017 पारित करते हुये तहसीलदार आमेर को उभयपक्षों की उपस्थिति में भूमि का मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर तकासमा कर कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस में मुख्य रूप से यही कथन किया गया है कि विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में ही अपीलार्थी को घोषणा का अन्य वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पक्षकार बनाये बगैर एवं सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दिये गये है, जिससे अपीलार्थी के घोषणात्मक वाद पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन वाद विभाजन का है, जिसके द्वारा राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) में दर्ज सहखातेदारान के मध्य विभाजन कानूनन किया जाना होता है एवं सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसरण में कार्यवाही करते हुये जो अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, उसमे कोई त्रुटी जाहिर नही होती है। जहाँ तक अपीलार्थी द्वारा जाहिर की गयी आपत्ति का प्रश्न है	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हीरा बनाम जगदीश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तो उनके द्वारा पेश किये गये घोषणा के वाद के निस्तारण उपरान्त ही अपीलार्थी के अधिकार विवादग्रस्त प्रश्नाधीन आराजी के सन्दर्भ में होंगे अथवा नही का निर्धारण होगा | ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन आराजी के सन्दर्भ में अपने हक़ में अधिकारों की घोषणा करवाये बिना अपीलार्थी इस विभाजन के वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री से व्यथित एवं प्रभावित नही हो सकते | अत: अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी अस्वीकार कर ख़ारिज किया जाता है एवं अपील के गुणावगुण पर बल नही होने से भी अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 06/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर